

68/05/24

पत्रावली उत्तुत वकील वादी अतु।  
बार-बार आवाज लगाई गई वादी  
स्वयं व वादी की ओर से कोई  
उपाक्षित नहीं हुआ। इस कारण  
यह पत्रावली अदालत हाजरी अदम-फैरी  
में खातिज की जाती है। पत्रावली नम्बर  
से क्रम होकर दाखिल दफ्तार है।

